

# अध्यादेश और विनियम

एम.डेस. कार्यक्रम



## अध्यादेश

- 0.1** इंजीनियरिंग/ टैक्नोलॉजी में स्नातक उपाधिके लिए योग्य उम्मीदवार या एआईसीटीई/ यूजीसी/ सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थानों से विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि और वैधिक गेट स्कोर (इंजीनियरिंग में स्नातक आण्टीट्यूड परीक्षण) में समय समय पर सेनेट द्वारा नियत न्यूनतम अंक पाये उम्मीदवार एम.डेस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन देने के लिए योग्य हैं। आईआईटी/आईआईआईटी/एनआईटी के सामान्य स्नातक जिनके पास 10 के लिए 8 सीजीपीए है और अजा/अजजा के लिए 10 के लिए 7.5 सीजीपीए रखे हैं बिना गेट स्कोर के प्रवेश पाने के लिए योग्य हैं।
- 0.2** वैधिक गेट स्कोर के साथ व्यावसायिक निकाय के एसोसियेट सदस्यता रखनेवालों के लिए उनके अपने पैतृक विधा में निम्नलिखित में प्रवेश पाने के लिए आवेदन दे सकते हैं - (i) दि इंस्टिट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) (एएमआईई) (ii) दि इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मेटल्स (एएमआईएम) (iii) दि इंस्टिट्यूशन आफ इलक्ट्रानिक्स एण्ड टेली-कॉम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (एएमआईटीई)
- 0.3** उद्योग/ सरकारी संगठन/ डीएसटी द्वारा मान्य अनुसंधान और अभिकल्पना कार्य में लगे निजि और सार्वजनिक एन्टरप्राइस द्वारा प्रायोजित और में काम करनेवाले/ एआईसीटीई/यूजीसी द्वारा मान्य इंजीनियरिंग कालेज के उम्मीदवार जिसके पास आवेदन देने के अंतिम तारीख पर कम से कम दो वर्ष के व्यावसायिक अनुभव हैं, आईआईआईटीडी व एम को आवेदन दे सकते हैं, बशर्ते उनके पास :
  - i. एआईसीटीई/यूजीसी मान्य इंजीनियरिंग कालेजों/विश्व विद्यालयों से प्राप्त प्रथम श्रेणी के या सभी चार वर्ष के 60 प्रतिशत के एग्ग्रेगट अंक सहित के बीई/बीटेक हो या
  - ii. वैधिक गेट स्कोर के साथ एएमआईई और अन्य एसोसियेट मेम्बरशिप (जो ऊपर बताया गया है) हो
- 0.4** समय समय पर और प्रत्येक वर्ष संस्थान के सेनेट द्वारा अनुमोदित एम.डेस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए सटीक पात्रता मानदंड संस्थान द्वारा घोषित किया जाता है।
- 0.5** एम.डेस पाठ्यक्रम के सामान्य अवधि, परियोजना सहित चार समेस्टर की होगी। विनियम में निर्धारितानुसार उद्योग और अन्य अनुमोदित संगठनों में परियोजना कार्य करने की अनुमति है।
- 0.6** संस्थान के सेनेट के विनियम के अनुरूप एम.डेस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाये छात्रों को आधा-समय प्रशिक्षण सहायता पुरस्कार (हेचटीटीए – हाफ टाइम टीचिंग एसिस्टण्टशिप पुरस्कार) दिया जा सकता है।
- 0.7** संस्थान के सेनेट के विनियम के अनुरूप एम.डेस उपाधि दी जाएगी।

## विनियम

### आर.1.0. प्रवेश

- आर.1.1.** उम्मीदवार जिनके पास वैध गेट (इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट एपीक्यूड टेस्ट ) अंक है एम.डेस पाठ्यक्रम में हेचटीटीए संस्थान के पूर्ण कालीन विद्वान के रूप में प्रवेश पाने के लिए आवेदन दे सकते हैं ।
- आर.1.2** स्तर सुधार पाठ्यक्रम या अन्य उसी तरह के पाठ्यक्रम के तहत प्रायोजित उम्मीदवार आवेदन दे सकते हैं ।
- आर.1.3** उद्योग, संस्थापित संस्थान/ अनुसंधान व अभिकल्प संगठन/ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार आवेदन दे सकते हैं ।
- आर.1.4** विदेशी जिनका आवेदन भारत सरकार के भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्राप्त होता है, उनका आवेदन प्राप्त किया जाएगा। विदेशी, स्व-वित्त योजना के तहत योग्य हैं जिसके लिए आवेदन उनके अपने राजदूतवास से प्राप्त होना है ।
- आर.1.5** संस्थान द्वारा एम.डेस प्रवेश की सूचना की जाएगी और उक्त आर.1.1, आर.1.2 और आर.1.3 संवर्ग में उल्लेखित उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में उल्लेखित अंतिम तारीख या उसके पहले आवेदन देना है।
- आर.1.6** हेचटीटीए के साथ पूर्णकालीन छात्रों के रूप में या प्रायोजित के रूप में या आर.1.1, आर.1.2 और आर.1.3 के तहत उल्लेखित अन्य उम्मीदवार के प्रवेश निर्णय पात्रता मानदंड के अनुरूप जिसमें प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम गेट अंक भी शामिल है, सेनेट द्वारा किया जाएगा।
- आर.1.7** संस्थान के सेनेट विभिन्न विधाओं/विशिष्टताओं / विभागों/ केंद्रों के सीटों की संख्या का निर्णय करेंगे। भारत सरकार के नियमानुसार अजा, अजजा, अपिव और विकलांग/अन्यथा सक्षम उम्मीदवारों को सीटों में आरक्षण किया जाता है। फिर भी, उनके पास वैध गेट स्कोर होना है और उनको सेनेट की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है ।
- आर.1.8** सेनेट द्वारा बनाये गये मानदंड के आधार पर उम्मीदवारों के चयन के प्रचालनिक पहलुओं पर अध्यक्ष, सेनेट द्वारा संगठित स्नातकोत्तर प्रवेश समिति निर्णय करेगी। सेनेट, फिर भी, सेना/नौ सेना/ वायु सेना/ डीआरडीओ में सेवारत अधिकारियों के मामले में चयन केंद्रीय चयन समिति द्वारा होगी जिसमें संस्थान के संकाय उस समिति के सदस्य होंगे ।
- आर.1.9** प्रवेश के बाद की रिक्तियों को भरने के लिए सेनेट के अध्यक्ष द्वारा निर्णय किया जाएगा और कार्यान्वयन अनुमोदन के लिए रिपोर्ट किया जाएगा ।
- आर.1.10** उम्मीदवार चयन संबंधी सभी मामलों में, सेनेट के अध्यक्ष का, या उसके द्वारा नामित यानी अध्यक्ष, स्नातकोत्तर प्रवेश समिति का निर्णय अंतिम है ।
- आर 1.11** एम.डेस प्रवेश के लिए आवेदन के साथ दिये गये सूचना ब्राउचर की शर्तों के अलावा, चयनित उम्मीदवार को प्रवेश पाने के लिए दिये जानेवाले पत्र में सूचित अन्य प्रवेश आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है । फिर भी, किसी भी समय, डीन, अकादमी पाठ्यक्रम/ निदेशक की दृष्टि में उम्मीदवार की आवश्यकताओं में कोई कमी पायी गयी है तो उस पाठ्यक्रम से उस उम्मीदवार को निकालने का हक डीन/निदेशक रखते हैं।
- आर 1.12.** संस्थान भी एम.डेस कार्यक्रम के लिए केंद्रीकृत परामर्श प्रक्रिया में छात्रों के प्रवेश के लिए भाग लेंगी

### आर.2.0 एम.डेस पाठ्यक्रम की संरचना

**आर.2.1** विशिष्टीकरण के प्रत्येक स्ट्रीम के लिए पाठ्यक्रम निर्देश में निम्नलिखित विषय होंगे :

- i. प्रमुख कोर्स/कोर कोर्स (अनिवार्य)
- ii. वैकल्पिक कोर्स
- iii. परियोजना कार्य

पाठ्यक्रम के दौरान औद्योगिक / व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना है और एक या एक से अधिक संगोष्ठी छात्र को आयोजित करना है ।

**आर 2.2** पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि चार सेमेस्टर का होगा। प्रत्येक सत्र में प्रत्येक विशिष्टीकरण के लिए सेनेट द्वारा उल्लेखितानुसार परियोजना कार्य और/या कोर्स कार्य करना होगा । प्रत्येक सप्ताह में लगभग 32 घंटे सामान्यतः संपर्क घंटे होंगे।

**आर.2.3.** सेनेट द्वारा अनुमोदित प्रत्येक पाठ्यक्रम के विशिष्टीकरण के प्रत्येक स्टीम में करिकुलम और सिलबी होगा। पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसा होना है कि एम.डेस पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ति करने के लिए क्रेडिट की न्यूनतम संख्या 60 और 64 से अधिक न होना है।

**आर.2.4** निम्नलिखित सामान्य पैटर्न पर आधार पर पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट दिया जाएगा।

- प्रत्येक वक्रता अवधिके लिए एक क्रेडिट
- प्रत्येक ट्यूटोरियल अवधिके लिए एक क्रेडिट
- तीन पीरियड के व्यावहारिक सत्र या प्रत्येक प्रयोगशाला सत्र के लिए दो क्रेडिट किया जाएगा।
- सेनेट द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम में उल्लेखितानुसार संगोष्ठी/ परियोजना कार्य और औद्योगिक/ व्यावहारिक प्रशिक्षक के लिए क्रेडिट दिया जाएगा।

**आर.2.5** एक छात्र को सभी मुख्य उसका / उसकी विशेषज्ञता के चयनित क्षेत्र के पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध पाठ्यक्रमों के लिए रजिस्टर और सफलतापूर्वक उन सभी को पूरा करना होगा। फिर भी विभागीय परामर्श समिति छात्र को किसी कोर कोर्स के पंजीकरण न करने के लिए अनुमति दे सकता है और स्नातक में सफलतापूर्वक समाप्त किये विषय के आधार पर कोई और कोर्स दे सकता है। इसे अकादमिक पाठ्यक्रमों के डीन / निदेशक को सूचित करना और उनसे अनुमोदन प्राप्त करना है।

**आर.2.6** अनुमोदित कोर्स सूची में से उस विशिष्ट सेमेस्टर में विभाग द्वारा दिये जानेवाले कोर्स में से विकल्प चुनना है।

फिर भी, लगभग सभी विभाग, विभाग द्वारा दी गयी सूची से इतर वैकल्पिक विषय लेने के लिए अनुमति देती है हालांकि विशिष्टीकरण और विषय से संबंधित हो और संकाय सलाहकार के अनुमोदन प्राप्त हो। (संकाय सलाह के लिए नीचे देखें)

**आर 2.7** कुछ विशिष्टीकरण में छात्रों को अधिक से अधिक दो बी.टेक कोर्स के लिए पंजीकरण की अनुमति दी जाती है। संबंधित विभाग ऐसे कोर्सों को पहचानेगा और सेनेट से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा।

**आर.2.8** निर्देश का माध्यम/ पढाई का माध्यम, परीक्षा, संगोष्ठी और परियोजना रिपोर्ट आदि अंग्रेजी में होगी।

### **आर.3.0 संकाय सलाहकर**

**आर.3.1** छात्रों को अपने अध्ययन कोर्स चुनने की सहायता और अकादमी पाठ्यक्रम पर सामान्य सलाह पाने के लिए, संबंधित विभाग कुछ छात्रों को संकाय सदस्य से जोड़ेगा जिन्हें संकाय सलाहकार कहा जाएगा।

### **आर.4.0 कक्षा समिति**

**आर.4.1** एम.डेस के I और II सेमेस्टर के लिए शाखावार कक्षा समिति का गठन विभागाध्यक्ष द्वारा निम्नलिखितानुसार किया जाएगा :

- सभी विषय के लिए जिसमें कम से कम पांच पंजीकरण हो, कोर्स टीचर / समन्वयक (जिसे आर.4.2 के तहत कवर नहीं किया गया है);
- एक प्रोफेसर यथा संभव जो क्लास के लिए अध्यक्ष के रूप में कोर्स आफर नहीं करता हो और
- चार छात्र सदस्य या कक्षा संख्या में से 20% जो भी कम हो
- संकाय सलाहकार- पदेन सदस्य

**आर.4.2** एम.डेस के I और II गणित और मानवीकी कोर्स के लिए कॉमन क्लास समिति का भी गठन किया जाएगा बशर्ते यदि इन दो विभागों द्वारा यह कोर्स सभी इंजीनियरिंग विभागों के लिए खोलता हो। गणित/ मानवीकी विभाग के प्रधान द्वारा इन समितियों का गठन निम्नप्रकार होगा :

- सभी विषयों के कोर्स टीचर
- एक प्रोफेसर यथा संभव जो क्लास के लिए अध्यक्ष के रूप में कोर्स आफर नहीं करता हो और
- चार छात्र सदस्य

**आर.4.3** कक्षा समिति के बुनियादी उत्तरदायित्व निम्नप्रकार है :

- वर्ग संबंधित, छात्रों द्वारा सामाना किये जानेवाले मामलों की प्रगति का आवधिक पुनरीक्षण
- कोर्स के मूल्यांकन के प्रकार कक्षा समिति द्वारा अध्यापक के साथ परामर्श करके किया जाएगा और सेमेस्टर की शुरूआत में ही उसे बता दिया जाएगा।

(c) प्रत्येक कक्षा समिति अपनी सिफारिशों को विभागाध्यक्ष और अकादमी कोर्स के डीन के यहाँ सूचित करेंगे।

(d) कक्षा समिति, बिना छात्र सदस्य के सेमेस्टर परिणाम के अंतिमरूप देने का भी उत्तरदायी है।

**आर.4.4** कक्षा समिति कम से कम वर्ष में दो बार मिलना है, एक बार सेमेस्टर के प्रारंभ में और दूसरा ग्रेड को अंतिमरूप देने के लिए सेमेस्टर के अंत में मिलना है।

### **आर.5.0 शाखा में परिवर्तन**

एम.डेस पाठ्यक्रम में एक बार प्रवेश पाने पर शाखा परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

### **आर.6.0 पंजीकरण की आवश्यकता**

एम.डेस छात्र पाठ्यक्रम में निर्धारित कोर्स के अलावा यानी तृतीय सेमेस्टर में एक और चौथा सेमेस्टर में ज्यादा से ज्यादा दो अतिरिक्त कोर्स, एक अतिरिक्त कोर्स ले सकते हैं हालांकि अधिकतम 9 क्रेडिट हो और छात्र कोई बैकलॉग न रखा हो और पिछले सेमेस्टर के अंत में सीजीपीए में 7.0 & अधिक रखना है। छात्र जो अतिरिक्त कोर्स लेते हैं उन्हें डीन (अकादमी कोर्स) के पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना है।

**आर.6.1** अंतिम परियोजना सेमेस्टर के दौरान, छात्र सामान्यतः कोर्स के पंजीकरण के लिए अनुमति नहीं दी जाती है, फिर भी विभागाध्यक्ष की विशिष्ट सिफारिश के तहत परियोजना के साथ साथ एकाध कोर्स के पंजीकरण के लिए डीन अनुमति दे सकते हैं जब छात्र को केवल क्रेडिट के लिए थोड़ी सी कमी हो।

ऐसे मामलों में परियोजना अवधिको सामान्य अवधिसे उपयुक्त रूप में बढ़ानी है। फिर भी, भारत सरकार के वर्तमान नियमानुसार एम.डेस हेचटीटीए को अधिकतम 24 महीनों की अवधिके लिए ही भुगतान किया जाएगा।

**आर.6.2** पंजीकृत कोर्स से वापसी की अनुमति सेमेस्टर की शुरुआत होने की तारीख से दो सप्ताह के अंदर ही दी जाएगी। इसके बदले में कोई कोर्स नहीं दिया जाएगा।

वापसी के बाद बाकी कोर्स पंजीकृत की संख्या छात्रों को अपनी पढाई जारी रखने की आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है जो आर.10 के तहत दर्शाया गया है।

वापस लिये गये कोर्स को तब लेना है जब उन्हें प्रदान किया जाता है, हालांकि वे कोर कार्स की सूची में होना है (अनिवार्य कोर्स)।

**आर.6.3** असाधारण स्थिति में जैसे चिकित्सा आधार पर, एक छात्र को अकादमी कोर्स के डीन द्वारा सेमेस्टर से पूर्ण रूप में वापस लेने की अनुमति दी जा सकती है। सामान्यतः एक छात्र को पाठ्यक्रम से वापस लेने की अनुमति लगातार अधिकतम दो सेमेस्टर की अवधिके लिए होगी।

### **आर.7.0 पाठ्यक्रम को जारी करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएँ**

**आर.7.1** छात्र को प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम 10 सफलपूर्वक क्रेडिट पाना है, दूसरे सेमेस्टर के अंत में 26 सफलपूर्वक क्रेडिट और तृतीय सेमेस्टर के अंत में 36 सफल क्रेडिट रखना है।

इसका न होने पर छात्रों को उस पाठ्यक्रम से बाहर जाने के लिए कह दिया जाएगा।

**आर.7.2** उक्त के अलावा, पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए, छात्र को कम से कम 5.0 सीजीपीए रखना है जिसकी संगणना आर.22.2 में बताये गये अनुसार की जाएगी। फिर भी जारी रखने की योग्यता की सीजीपीए की संगणना में जिस कोर्स में छात्र पढता है और विचारणीय अवधितक जितने सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है उसी को लिया जाएगा। किसी भी छात्र की सीजीपीए ऐसी संगणना में 5.0 से कम होता है उसे चेतावनी दी जाएगी और यदि वह अगले सेमेस्टर तक प्रगति नहीं करता/करती और सीजीपीए 5.0 से कम ही है तो उन्हें पाठ्यक्रम छोड़ने के लिए कहा जाएगा।

### **आर.8.0 पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम अवधि**

**आर.8.1** छात्र से आशा की जाती है कि एम.डेस पाठ्यक्रम को चार सेमेस्टर में पूरा करें। फिर भी चार सेमेस्टर में यदि वह अपनी परियोजना को पूरा नहीं करता है तो पूर्व अनुमति के साथ उन्हें पांचवाँ सत्र में समर्पित करने के लिए कहा जाएगा।

छात्रों को पांच सेमेस्टर के अंदर कोर्स को पूरा करना है और संपूर्ण पाठ्यक्रम को प्रवेश करने की तारीख से 8 सेमेस्टर में पूरा करना है जिसमें परियोजना काम भी शामिल है।

## आर.9.0 पाठ्यक्रम को बीच में ही छोड़ना

- आर.9.1** छात्रों को पाठ्यक्रम में बीच में ही छोड़कर नौकरी लेने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कोर्स काम को पूर्ण किया होना चाहिए। परियोजना काम बाद में भी या तो अब काम कर रहे संगठन में यदि वहाँ अनुसंधान व अभिकल्प सुविधा हो तो किया जा सकता है या संस्थान में किया जा सकता है। ऐसे छात्र पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने की तारीख से छः सेमेस्टर के अंदर अपनी परियोजना को पूरा करना है।  
किसी भी समय, छात्र जो अपना पाठ्यक्रम को बीच में ही छोड़ना चाहते हैं और परियोजना कार्य को बाद में पूरा करना चाहते हैं तो ऐसे करने के पहले डीन से अनुमति मांगनी और प्राप्त करनी है।

## आर.10.0 अनुशासन

- आर.10.1** प्रत्येक छात्र को अनुशासन का अनुपालन करना है और कैंपस के अंदर और बाहर अच्छी तरह व्यवहार करना है और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे संस्थान के मान पर कलंक हो।
- आर.10.2** छात्र के कोई भी अनुशासनहीन कार्य डीन के यहाँ रिपोर्ट किया जाएगा और अनुशासन और समय समय पर सेनेट द्वारा संस्थापित अनुशासन एवं कल्याण समिति को संदर्भित किया जाएगा।  
समिति आरोपों पर पूछताछ करेगी और आरोप सही है तो उपयुक्त दंड की सिफारिश करेगी। अनुशासन और कल्याण समिति की सिफारिशों पर अकादमी कोर्स के बोर्ड विचार करेगा और अकादमी कोर्स के डीन को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत करेगा।
- आर.10.3** अपील : छात्र अध्यक्ष, सेनेट के यहाँ अपील कर सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा। सेनेट की अगली बैठक में डीन की कार्रवाई की रिपोर्ट करेंगे।
- आर.10.4** किसी भी दृष्टि से रेगिंग क्रिमिनल है और हमारे देश और राज्य में नॉन-बेइलबिल अपराध है और केंद्रीय विधान में कारावास सहित सख्त दंड का प्रावधान है। यदि कोई छात्र रेगिंग करते हुए पकड़ा गया तो उन्हें संस्थान से बाहर भेज दिया जाएगा और किसी भी अन्य संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस अमानवीय कार्य में यदि कोई एक को इंकित किया न सका तो सामूहिक दंड के लिए भी प्रावधान है। संस्थान के प्रत्येक वरिष्ठ छात्र माता-पिता सहित प्रत्येक वर्ष लिखित रूप में यह आश्वासन देगा/देगी और एनरोलमेंट के समय पर समर्पित करेगा।

## आर.11.0 उपस्थिति

- आर.11.1** प्रत्येक शिक्षण स्टाफ सदस्य जो कक्षा को संभालते हैं, सेमेस्टर के अंतिम निर्देश दिवस के 3 कैलण्डर दिवस के पहले ही उपस्थिति का विवरण दे देना है।  
छात्र जो  $\geq 85\%$  तक की उपस्थिति रखता है उन्हीं को अंतिम सेमेस्टर में बैठने के लिए अनुमति दी जाएगी। जो छात्र न्यूनतम प्रतिशत की उपस्थिति नहीं रखते हैं उन्हें उस कोर्स को जब पुनः चलाया जाता है उपस्थित होना है।
- आर.11.2** प्रत्येक शिक्षण स्टाफ सदस्य जो कक्षा को संभालते हैं, सेमेस्टर के अंतिम निर्देश दिवस के 3 कैलण्डर दिवस के पहले ही उपस्थिति का विवरण दे देना है।  
उन छात्रों के नाम को जो 85% से कम उपस्थिति रखे हैं कक्षा में अध्यापक स्वयं घोषित करेंगे।  
उनकी प्रतियाँ अकादमी कोर्स के डीन को और संबंधित विभागाध्यक्ष को भिजवाना है।

## आर.12.0 छुट्टी नियम

- आर.12.1** एम.डेस के सभी छात्र जब कभी वर्ग/ परियोजना कार्य में उपस्थित नहीं हो पाते हैं छुट्टी के लिए विभागाध्यक्ष / संकाय सलाहकार को कारण बताते हुए आवेदन देना है। अपने खाते में छुट्टी होते हुए भी यदि वह अप्राधिकृत छुट्टी है तो अनुपस्थिति के समय हेचटीटीए के लिए हकदार नहीं होंगे।
- आर.12.2** प्रत्येक सेमेस्टर के लिए 15 दिन के हिसाब से छात्रों को वर्ष में 30 दिन की छुट्टी है और प्रथम सेमेस्टर से द्वितीय सेमेस्टर तक यह छुट्टी कैरीओवर होगी और उसी प्रकार तृतीय सेमेस्टर से चतुर्थ सेमेस्टर तक कैरीओवर होगा। (यानी प्रथम वर्ष की छुट्टी को दूसरे वर्ष में कैरीओवर नहीं कर सकते)  
छुट्टी के पूर्व एवं बाद की सामान्य छुट्टियों को जोड़ने का प्रावधान है पर बीच की सामान्य छुट्टी को भी छुट्टी से काटा जाएगा।

### आर.13.0 मूल्यांकन कार्यवाही :जांच और परीक्षण

**आर.13.1** सेमेस्टर के दौरान न्यूनतम दो सत्र मूल्यांकन के वक्तूता / वक्तूता और ट्यूटोरियल आधारित विषय मूल्यांकन होगा। सत्र का मूल्यांकन, आवधिक परीक्षण, असेन्मेंट या दोनों का जो भी विषय के लिए उपयुक्त है उस रूप में होगा। वर्ग समिति में जो भी मूल्यांकन विवरण संबंधी निर्णय होगा उसे प्राध्यापक द्वारा सेमेस्टर के प्रारंभ में ही छात्रों को बताया जाएगा।

### आर.14.0 सेमेस्टर अंत परीक्षा

**आर.14.1** विषय आधारित प्रत्येक वक्तूता में 3 घंटे की अवधिकी परीक्षा सेमेस्टर अंत में होगा। यदि प्रयोगशाला संबंधी विषय हो तो अंतिम परीक्षा हो भी सकती है और न भी हो सकती है। परियोजना के मामले में, परियोजना कार्य की समाप्ति पर एक मौखिक परीक्षा चलायी जाएगी।

### आर.15.0 परियोजना मूल्यांकन

**आर.15.1** छात्र सभी कोर और वैकल्पिक कोर्स की आवश्यकताओं को संतोषजनक रूप में पूरा करने पर ही परियोजना के मूल्यांकन कार्य लिया जाएगा।

### आर.16.0 वेइटेज

**आर.16.1** विभिन्न विषयों के लिए निम्नलिखितानुसार भरिता दिया जाएगा।

(a) वक्तूता या वक्तूता और ट्यूटोरियल आधारित विषय:

सत्र मूल्यांकन : न्यूनतम 40%

सत्रांत परीक्षा : न्यूनतम 40%

(b) प्रयोगशाला आधारित विषय :

ए के समतुल्य सत्र कार्य 75 से 100%

अंतिम परीक्षा, यदि होती है तो) 25%

न्यूनतम भरिता)

**आर.16.2** सभी ट्यूटोरियल असेन्मेंट्स, प्रयोगशाला कार्य और परीक्षा के परीक्षण के लिए मार्किंग्स (यदि कोई हो तो) निरपेक्ष आधार पर होगा। आर 19.1 में दिये गये भरिता के आधार पर प्रत्येक विषय के लिए अंतिम अंक की प्रतिशतता की गणना की जाएगी।

### आर 17.0 मेक-अप परीक्षा

**आर.17.1** वैध कारणों से यदि कोई छात्र सत्र मूल्यांकन नहीं दे पाया है तो अनुपस्थिति का कारण बताते हुए परीक्षा सेल को और प्राध्यापक इन अनुरोध की उपयुक्तता पर विचार किया जाएगा।

**आर.17.2** वैध कारणों पर कोई छात्र सत्रांत परीक्षा नहीं दे पाया तो अकादमी कोर्स के डीन/ निदेशक/ परीक्षा सेल को छूटी गयी परीक्षा की तारीख से दस दिन के अंदर आवेदन देना है। विषय/ विषयों में मेक-अप परीक्षा के लिए बैठने की अनुमति असाधारण परिस्थिति में जैसे अस्पताल में भर्ती या छात्र कोई दुर्घटना आदि में दी जाती है। एक छात्र जो इस मेक-अप परीक्षा लिख नहीं पाता उसे दूसरी बार मेक-अप परीक्षा लिखने की अनुमति सामान्यतः नहीं दी जाती है।

फिर भी असाधारण ज्वर मामलों में जिससे छात्र मेक-अप परीक्षा लिख नहीं पाते हैं तो अकादमी कोर्स के डीन/ परीक्षा सेल सेनेट के अध्यक्ष के साथ परामर्श करके छात्र को दूसरा मेक-अप परीक्षा लिखने की अनुमति दी जा सकती है।

**आर.17.3** चिकित्सा आधार पर छुट्टी आवेदन देने पर, छात्रावास में रहनेवाले छात्रों को संस्थान के चिकित्सा अधिकारी द्वारा ही चिकित्सा प्रमाण-पत्र देना है।

कैंपस से स्थायी रूप से/ अस्थायी रूप से रह छात्र पंजीकृत चिकित्सा देनेवाले डाक्टर से चिकित्सा प्रमाण-पत्र देना है जिसपर माता-पिता/अभिभावकों से मेक-अप परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगते हुए अग्रेषित किया जाना है।

अकादमी के डीन अपने स्वविचार से अपने निर्णय का कारण बताते हुए छात्र को मेक-अप परीक्षा देने की अनुमति दे सकते हैं।



## आर 18.0 संवर्ग में छात्रों का विषय वार ग्रेडिंग

### आर.18.1 अक्षर ग्रेड्स

सेमेस्टर कार्यनिष्पादन के आधार पर, प्रत्येक छात्र को अंतिम अक्षर ग्रेड प्रत्येक विषय में दिया जाता है। अक्षर ग्रेड और उससे इंकित होनेवाले ग्रेड पाइंट्स का विवरण निम्नप्रकार है।

ग्रेड	पाइंट
एस	10
ए	9
बी	8
सी	7
डी	6
ई	4
यू	0
डब्ल्यू	न्यूनतम उपस्थिति के लिए पंजीकरण रद्द किया गया है
पी, हेच	उत्तीर्ण/ पूरा किया गया है
एफ, एल	अनुत्तीर्ण/ अपूर्ण

**आर.18.2** जब किसी छात्र यू/एफ के सिवा और कोई ग्रेड पाता है तो माना जाता है कि उस छात्र सफलतापूर्वक अपना पाठ्यक्रम पूरा कर चुका है।

यू/एफ ग्रेड पाने पर यह माना जाएगा कि उस विषय पर वह अनुत्तीर्ण है। सफलतापूर्वक पूरा किये गये विषय को पुनः नहीं लिख सकेंगे।

## आर 19.0 ग्रेड प्रदान कराने की पद्धति

**आर.19.1** सत्रांत सेमेस्टर परीक्षा के अंतिम दिन से सात दिनों के अंदर चाहे तो वर्ग समिति की अंतिम बैठक छात्र सदस्य के बिना बुलायी जाएगी।

छात्रों को विभिन्न विषयों के लिए दिये जानेवाले अक्षर ग्रेड का निर्णय लिया जाएगा।

**आर.19.2.** प्रत्येक विषय के लिए जिसमें अंतिम ग्रेड हो के परिणाम शीट दो प्रतियाँ और निरपेक्ष अंक के दो प्रतियाँ, अंतिम ग्रेड प्राध्यापक द्वारा संबंधित कक्षा समिति के अध्यक्ष को समर्पित किया जाना है।

कक्षा समिति बैठक में ग्रेड के अंतिम निर्णय लेने के बाद : एक प्रति निरपेक्ष अंक के साथ और एक निरपेक्ष अंक के बिना केवल ग्रेड के साथ वर्ग समिति अध्यक्ष से डीन को अग्रेषित किया जाएगा।

अंतिम ग्रेड, निरपेक्ष अंक के साथ एक प्रति कोर्स के विभागाध्यक्ष को दिया जाना है।

## आर.20.0 परिणाम की घोषणा

**आर 20.1** प्रत्येक विषय में छात्रों को प्रदान किये जानेवाले अक्षर ग्रेड विभागीय सूचना बोर्ड में अंतिम कक्षा समिति बैठक के तुरंत बाद प्रस्तुत किया जाएगा।

**आर.20.2** एक बार यू या डब्ल्यू ग्रेड प्रदान किये जाने पर वह छात्रों के रिकार्ड में होगा और वह तभी निकाला जाएगा जब वह उस विषय पर बाद में सफलतापूर्वक पूरा करता/करती हो बशर्ते कितनीवीं बार में पूरा किया है उसकी सूचना होगा। सफलतापूर्वक पूरे किये कोर्स के आधार पर यू या डब्ल्यू ग्रेड को छोड़कर सीजीपीए की गणना की जाएगी।

## आर 21.0 उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः जांच

**आर.21.1** यदि कोई छात्र सोचता है कि वंचित हुआ है तो पुनः जांच के लिए वह संबंधित प्राध्यापक से संपर्क कर सकता/सकती है बशर्ते परिणाम घोषित कर अगले सेमेस्टर के प्रारंभ होने के दो सप्ताह के अंदर होना है। सत्रांत परीक्षा के अपने अपने उत्तर पुस्तिका को छात्र देख सकते हैं, संबंधित प्राध्यापक दिखाएँगे।

यदि प्राध्यापक महसूस करते हैं कि मामला सही है तो उसके पुनः परीक्षा कर सकता है और यदि कोई हो तो परिवर्तित ग्रेड को अकादमी कोर्स के डीन को वर्ग समिति के अध्यक्ष द्वारा औचित्य सहित परिवर्तन के लिए और विभागाध्यक्ष की सूचना के लिए अग्रेषित कर सकता है।

### आर.22.0 कोर्स पुनरावृत्ति

**आर.22.1** किसी भी विषय पर एक छात्र यू ग्रेड लेने पर यदि वह विषय कोर्स विषय है तो अगली बार देने पर अनिवार्य रूप से उस विषय की पुनरावृत्ति करनी है।

**आर.22.2** यदि वह वैकल्पिक विषय है तो छात्र को सफलतापूर्वक ग्रेड प्राप्त करने के लिए उसकी पुनरावृत्ति करने का विकल्प है।

### आर.23.0 ग्रेड कार्ड

**आर.23.1** प्रत्येक छात्र को सत्रांत में जारी किये जानेवाले ग्रेड कार्ड में निम्नलिखित होगा :

- उस सेमेस्टर के लिए पंजीकृत प्रत्येक कोर्स के लिए क्रेडिट
- आर.21.1. द्वारा प्राप्त अक्षर ग्रेड द्वारा प्रत्येक विषय के कार्यनिष्पादन दर्शाया जाएगा।
- उस सेमेस्टर के अंत तक छात्रों द्वारा प्राप्त कुल क्रेडिट
- सभी कोर्स के प्रथम सेमेस्टर से अंतिम सेमेस्टर तक, अंतिम सेमेस्टर ग्रेड कार्ड में क्युमुलेटिव ग्रेड पाइंट एवरेज (सीजीपीए)।

**आर.23.2** ग्रेड पाइंट एवरेज (जीपीए) निम्नलिखित सूत्र द्वारा संगणित किया जाएगा।

$$GPA = \frac{\sum_i (C_i \times GP)}{\sum_i C_i}$$

जहाँ  $C_i$  = कोर्स के क्रेडिट, जीपी = कोर्स के लिए प्राप्त ग्रेड पाइंट और  $\sum_i C_i$  = उस सेमेस्टर में लिये गये ओवरऑल कोर्स में क्रेडिट के कुल, जिसमें छात्र द्वारा लिये गये यू या डब्ल्यू ग्रेड भी शामिल है।

इसी प्रकार के फार्मुला क्युमुलेटिव ग्रेड पाइंट एवरेज (सीजीपीए) के लिए भी अपनाया जाता है जिसमें  $\sum_i C_i$  उस अवधितक के सभी पूरे किये गये सेमेस्टर के ओवरऑल कोर्स के क्रेडिट के कुल दर्शाया जाएगा, जिसमें छात्र द्वारा लिये गये यू या डब्ल्यू ग्रेड भी शामिल होगा।

**आर.23.3** एम.डेस पाठ्यक्रम के अंत में छात्र को कोई श्रेणी / डिविजन/ रैंक प्रदान नहीं किया जाएगा।

### आर.24.0 उद्योग या अन्य संगठन में परियोजना कार्य

**आर.24.1** अनुसंधान और अभिकल्प के रहे और अनुसंधान कार्य के लिए सुविधा के संगठन द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार हो या उस संगठन के कर्मचारी हो उसके कोर्स के पूरा करने पर अंतिम सत्र के दौरान परियोजना कार्य उस संगठन में ही निम्नलिखित शर्तों के तहत कर सकता है :

**आर.24.2** ऐसे छात्रों के अनुरोध की परीक्षा एक विभागीय समिति करेगी और निम्नलिखित नियत करेगी

- एक आंतरिक गाइड (संस्थान के एक संकाय सदस्य)
- परियोजना कार्य क्षेत्र और
- बाह्य गाइड (उद्योग के वैज्ञानिक या इंजीनियर)।

**आर.24.3** उक्त विवरण डीन को विभागाध्यक्ष के जरिए समर्पित करना है और परियोजना शुरू करने के पहले डीन की अनुमति प्राप्त करनी है।

**आर.24.4** उद्योग में परियोजना करने के लिए अनुमति प्राप्त छात्र को ट्यूशन शुल्क और अन्य शुल्क संस्थान को तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर के लिए अदा करना है।

## **आर.25.0 हाफ-टाइम शिक्षण एसिस्टेंटशिप**

**आर.25.1** गेट अंक के आधार पर जिन छात्र एम.डेस में प्रवेश पाने योग्य हुए हैं और संस्थान के पूर्णकालीन विद्वान के रूप में शामिल हुए हैं, समय समय पर संस्थान द्वारा सूचित हेचटीटीए के पुरस्कार के लिए योग्य होंगे।

**आर.25.2** प्रायोजित योजना के तहत पूर्ण वेतन के साथ एम.डेस में प्रवेश पानेवाले छात्रों को कोई भी हेचटीटीए प्रदान नहीं किया जाएगा यद्यपि वे गेट की योग्यता रखते हैं।

**आर.25.3** स्व-वित्तीय विदेशी हेचटीटीए के लिए हकदार नहीं हैं।

## **आर.26.0 एम.डेस पाठ्यक्रम के लिए योग्यता**

**आर.26.1** निम्नलिखित योग्यताएँ रखने पर कोई छात्र एम.डेस उपाधिके लिए योग्य होंगे :

- (1) पंजीकृत और सफलतापूर्वक सभी कोर कोर्स और परियोजना को पूरा किया हो
- (2) आर.10.1 में उल्लिखितानुसार निर्धारित अवधिके अंदर अपने स्ट्रीम के पाठ्यक्रम में निर्धारित न्यूनतम क्रेडिट सफलतापूर्वक पाये हो
- (3) संस्थान, पुस्तकालय और छात्रावास को कुछ देय न हो
- (4) उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई हो
- (5) छात्र जो विदेश के विश्व विद्यालय के संदर्शन परिवर्तन पाठ्यक्रम के तहत करते हैं क्रेडिट अंतरण के लिए निम्नलिखित को अपनाया जाएगा:

ग्रेड शीट में इंकित क्रेडिट/ग्रेड का उपयोग जो उस विश्व विद्यालय से प्राप्त है जहाँ छात्र अपना पाठ्यक्रम किया है, छात्र द्वारा ट्रांस्क्रिप्ट्स के अंश के रूप में करना चाहिए।

आईआईआईटीडीएम कांचीपुरम ट्रांस्क्रिप्ट्स केवल, आईआईआईटीडीएम कांचीपुरम में पूरा किये कोर्स, क्रेडिट और ग्रेड को दर्शाता है और उस विशिष्ट सेमेस्टर में अन्य विश्व विद्यालय में पाये गये (ग्रेड के बिना) क्रेडिट को दर्शाता है।

**आर.26.2** उपाधि, सेनेट की सिफारिश और संस्थान के बोर्ड आफ गवर्नर्स द्वारा अनुमोदित होना है।

## **आर.27.0 संशोधन की शक्ति**

उक्त सभी विषयों के होते हुए भी समय समय पर किसी भी विनियम को संशोधित करने का हक सेनेट रखती है।

# **ORDINANCES AND REGULATIONS**

## **Master of Design Programme**



## Ordinance

- O.1** Candidates who have qualified for the award of the Bachelor's degree in Engineering / Technology or Master's degree in Science from educational Institutions approved by AICTE/UGC/Government and who have a valid GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) score with minimum percentile fixed by the Senate from time to time are eligible to apply for admission to the M.Des programme. Graduates from IITs/IIITs/NITs with minimum CGPA of 8 out of 10 for GC and 7.5 out of 10 in case of SC/STs are eligible for admission without GATE Score.
- O.2** Associate Membership holders of the professional bodies for admission into their parent disciplines from the following - (i) The Institution of Engineers (India) (AMIE) (ii) The Indian Institute of Metals (AMIM) (iii) The Institution of Electronics and Telecommunication Engineering (AMIETE) with valid GATE Score can also apply.
- O.3** Candidates working and sponsored (with full pay and allowances for 24 months) by industry / government organizations / private and public enterprises recognized by DST engaged in R & D work/ engineering colleges recognized by AICTE/UGC, possessing at least two years of professional experience as on the last date of receipt of applications at IIITD&M can apply, provided they hold:
- 1 B.E./ B.Tech. degree from AICTE/UGC recognized Engineering Colleges/university with first class or 60% aggregate marks in all the four years; or
  - 2 AMIE and other Associate memberships (listed above) with a valid GATE Score
- O.4** The exact eligibility criteria for admission to the M.Des programme shall be as approved by the Senate of the Institute from time to time and announced by the Institute on an annual basis.
- O.5** The normal duration of the M.Des programme including project work shall be four semesters. Candidates may be permitted to do their project work in industry and other approved organisations as prescribed in the regulations.
- O.6** The award of Half-time Teaching Assistantship (HTTA) to the candidates admitted to the M.Des programme shall be in accordance with the regulations of the Senate of the Institute.
- O.7** The award of the M.Des degree shall be in accordance with the regulations of the Senate of the Institute.

## REGULATIONS

### R.1.0 ADMISSION

- R.1.1** Candidates who have valid GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) score are eligible to apply for M.Des programme as full time scholars of Institute HTTA.
- R.1.2** Candidates sponsored under Quality improvement Programme or other similar programmes are eligible to apply.
- R.1.3** Candidates sponsored by the Industries, established Institutes/R&D Organisations/National laboratories are eligible to apply.
- R.1.4** Foreign nationals whose applications are received through Indian Council of Cultural Relations, Government of India are eligible to apply. Foreign Nationals are also eligible under self-financing scheme for which applications are invited through their embassy.
- R.1.5** Announcements for M.Des Admission will be made by the Institute and the candidates under categories R.1.1, R.1.2 and R.1.3 mentioned above should apply in the prescribed form on or before the specified dates.
- R.1.6** The eligibility criteria for admission including the minimum GATE score required for admission as full time students with HTTA or as sponsored or other candidates mentioned under R.1.1, R.1.2 and R.1.3 will be decided by the Senate.
- R.1.7** The Senate of the Institute will decide on the number of seats for various specialisations / Departments / Centres. Seats are reserved for SC, ST, OBC and physically challenged candidates as per the Government of India rules. However, to be considered for admission they should have a valid GATE score and satisfy the Senate requirements.
- R.1.8** The Post-Graduate Admissions Committee constituted by the Chairman, Senate will decide on the operational aspects of selection of candidates based on the criteria laid down by the Senate. However, in the case of service officers under the control of Army / Navy / Air force / DRDO, the selection will be through a central selection committee/s with the Institute faculty serving on the selection committee.
- R.1.9** Vacancies that are to be filled up after the admission date will be decided by the Chairman, Senate and reported to the Senate for post-facto approval.
- R.1.10** In all matters concerning selection of candidates, the decision of the Chairman, Senate or his nominee viz. Chairman, Post-Graduate Admissions Committee is final.
- R.1.11** In addition to satisfying the conditions given in the information Brochure for M.Des Admission sent along with the application forms, the selected candidates should satisfy the other admission requirements indicated in the letter of offer of admission. However, if at any time the Dean Academic Courses / Director finds any of the requirements not fulfilled by the candidate, the Dean / Director may revoke his/her admission to the programme.
- R.1.12** The institute shall also participate in Centralised Counselling process for admission of students to M.Des programme.

### R.2.0 STRUCTURE OF THE M.DES PROGRAMME

- R.2.1** The programme of instruction for each stream of specialization will consist of
- i. core courses (compulsory)
  - ii. elective courses

iii. project work

The student may be required to give one or more seminars and undergo industrial / practical training during the programme.

R.2.2 The complete programme will be of 4 semester duration. The academic programmes in each semester may consist of course work and/or project work as specified by the Senate for each specialisation. The total contact hours is normally about 32 hours per week.

R.2.3. Every stream of specialisation in the programme will have a curriculum and syllabi for the courses approved by the Senate. The curriculum should be so framed such that the minimum number of credits for successful completion of the M.Des programme of any stream is not less than 60 and not more than 64.

R.2.4 Credits will be assigned to the courses based on the following general pattern:

- i. One credit for each lecture period
- ii. One credit for each tutorial period
- iii. Two credit for each laboratory or practical session of three periods
- iv. Credit for the seminar, project work and industrial / practical training will be as specified in the curriculum approved by the Senate.

R.2.5 A student will have to register for all the core courses listed in the curriculum of his/her selected area of specialisation and successfully complete all of them.

However, the Departmental Consultative Committee may grant permission to a student not to register for some of the core courses and substitute them by some other courses depending on the courses successfully completed by the student in the undergraduate programme. This has to be intimated to and approved by the Dean of Academic Courses / Director.

R.2.6 Electives will have to be taken from the courses offered by the Department in that particular semester from among the list of approved courses.

However, most departments permit selection of electives other than those listed against the Department provided they have relevance to the area of specialisation and subject to the approval of the Faculty Adviser. (For Faculty Adviser-see below).

R.2.7 In some specialisations students may be permitted to register for a maximum of two B.Tech courses. The concerned departments will identify such courses and get prior approval of the Senate.

R.2.8 The medium of instruction, examination, seminar and project reports will be in English.

### **R.3.0 Faculty Adviser**

R.3.1 To help the students in planning their courses of study and for getting general advice on academic programme, the concerned Department will assign a certain number of students to a Faculty Member who will be called as Faculty Adviser.

### **R.4.0 CLASS COMMITTEE**

R.4.1 For I and II semesters of M.Des branch wise class committees will be constituted by the Heads of the Departments as follows:

- i. Course teacher / co-ordinators of all subjects (not covered under R.4.2) with registration not less than five;



- ii. One Professor preferably not offering courses for the class as chairman and
- iii. Four student members or 20% of the class strength, whichever is less
- iv. Faculty Adviser - Ex-Officio Member

**R.4.2** Common class committee for Mathematics and Humanities courses of I and II M.Des will also be formed if the courses open to all engineering departments are offered by the above two departments. These committees will be constituted by the Heads of Mathematics/Humanities department as follows :

- i. Course teacher of all subjects:
- ii. One Professor preferably not offering courses for the class as Chairman and
- iii. Four student members.

**R.4.3** The basic responsibilities of the class committee are :

- a) to review periodically the progress of the classes to discuss issues faced by students.
- b) The type of assessment for the course will be decided by the teacher in consultation with the class committee and will be announced to the students at the beginning of the semester.
- c) Each class committee will communicate its recommendations to the Head of the Department and the Dean of Academic courses.
- d) The class committee without the student members will also be responsible for the finalisation of the semester results.

**R.4.4** The class committee is required to meet at least twice in a semesters once at the beginning of the semester and another time after the end-semester examination to finalise the grades.

### **R.5.0 Change of Branch**

Change of branch is not permitted once a student is given admission to M.Des programme.

### **R.6.0 Registration Requirement**

The M.Des students are eligible to take extra courses apart from the courses prescribed in the curriculum viz one course in 3<sup>rd</sup> semester and not more than two courses in 4<sup>th</sup> semester subject to a maximum of 9 credits, provided a student has no backlog and should have earned CGPA of 7.0 & above by the end of the previous semester. Students taking extra courses should obtain the prior approval of Dean (Academic Courses).

**R.6.1** During the final project semester, students are not normally permitted to register for courses. However, students who are short of a few credits required for the degree may be allowed by the Dean to register for one or two courses along with the project under the specific recommendation from the Head of the department.

In such cases the project duration may have to be extended beyond the normal period suitably. However, the M.Des HTTA will be paid for a maximum period of 24 months only, as per the existing Government of India rules.

**R.6.2** Withdrawal from a course registered is permitted upto two weeks from the date of commencement of the semester. Substitution by another course is not permitted. The number of courses remaining registered after withdrawal should enable the student to earn the credits required to continue the studies as indicated under R.10.

Courses withdrawn will have to be taken when they are offered next, if they belong to the list of core courses (Compulsory courses).

- R.6.3 In extraordinary circumstances like medical grounds, a student may be permitted by the Dean of Academic Courses to withdraw from a semester completely. Normally a student will be permitted to withdraw from the programme only for a maximum continuous period of two semesters.

### **R.7.0 MINIMUM REQUIREMENT TO CONTINUE THE PROGRAMME**

- R.7.1 A student should have earned not less than 10 successful credits in the first semester, 26 successful credits by the end of second semester and 36 successful credits by the end of third semesters.

The student will be asked to leave the programme failing to satisfy this requirement

- R.7.2 In addition to the above, to be eligible to continue in the programme the student should have a minimum CGPA of 5.0, calculated according to the formula in R.22.2. However, in calculating the CGPA for eligibility to continue the programme only courses the student has successfully completed upto the point under consideration will be taken into account. If the CGPA of any student so calculated falls below 5.0 the student will be issued a warning and if he/she does not make good and get a CGPA less than 5.0 in the following semester also then he/she will be asked to leave the programme.

### **R.8.0 MAXIMUM DURATION OF THE PROGRAMME**

- R.8.1 A student is ordinarily expected to complete the M.Des programme in four semesters. However students who do not complete their project work in four semesters are permitted to submit the report in the fifth semester with the prior approval. Students should complete the course work in not more than 5 semesters and the entire programme in 8 semesters including the project work from the date of admission to the programme.

### **R.9.0 DISCONTINUATION FROM THE PROGRAMME**

- R.9.1 Students may be permitted to discontinue the programme and take up a job provided they have completed all the course work. The project work can be done during a later period either in the organisation where they work if it has R and D facility, or in the Institute. Such students should complete the project within six semesters from the date of admission to the programme.

Students desirous of discontinuing their programme at any stage with the intention of completing the project work at a later date should seek and obtain the permission of the Dean before doing so.

### **R.10.0 DISCIPLINE**

- R.10.1 Every student is required to observe discipline and decorous behaviour both inside and outside the campus and should not indulge in any activity which bring down the prestige of the Institute.

- R.10.2 Any act of indiscipline of a student reported to the Dean will be referred to Discipline and Welfare Committee constituted by the Senate from time to time.

The Committee will enquire into the charges and recommend suitable punishment if the charges are substantiated. The Board of Academic Courses will consider the

recommendation of the Discipline and Welfare Committee and authorize the Dean, Academic Courses to take appropriate action.

**R.10.3.Appeal:** The student may appeal to the Chairman, Senate whose decision will be final. The Dean will report the action taken at the next meeting of the Senate.

**R.10.4** Ragging of any dimension is a criminal and non-bailable offence in our country and current State and Central legislations provide for stringent punishment including imprisonment. Once the involvement of a student is established in ragging, the offending student will be dismissed from the Institution and will not be admitted into any other Institution. Avenues also exist for collective punishment, if individuals cannot be identified in this inhuman act. Every senior student of the Institute along with the parent shall give an undertaking every year in this regard and this should be submitted at the time of enrolment.

### **R.11.0 ATTENDANCE**

**R.11.1** Every teaching staff member handling a class will take attendance till 3 calendar days before the last instructional day in the Semester.  
Students with attendance  $\geq 85\%$  will only be allowed to appear in the end semester examinations. Students failing to meet the minimum attendance percentage will have to repeat the course when it is offered next.

**R.11.2** The teacher handling the course must finalise the attendance 3 calendar days before the last instructional day of the course in the semester.  
The particulars of all students who have attendance less than 85% in that course will be announced in the class by the teacher himself.  
Copies of the same should also be sent to the Dean, Academic Courses and Head of the Departments concerned.

### **R.12.0 LEAVE RULES**

**R.12.1** All M.Des students should apply to the Head of the Department / Faculty Advisor for leave stating the reasons whenever they are not in a position to attend classes/project work. They will not be eligible for HTTA for the period of absence, if it is unauthorised leave even if they have not fully utilised the eligible leave.

**R.12.2** Students are eligible for leave of 30 days in a year which will be regularised 15 days per semester with a provision of carryover from first to second semester and from the third to fourth semester (i.e unutilized leave from the first year cannot be carried over to second year).  
The intervening holidays will be treated as part of leave with provision of suffixing and prefixing holidays.

### **R.13.0 ASSESSMENT PROCEDURE: TESTS AND EXAMINATIONS**

**R.13.1** For Lecture or / Lecture and Tutorial based subjects a minimum of two sessional assessments will be made during the semester. The sessional assessment may be in the form of periodical tests, assignments or a combination of both, whichever suits the subject best. The assessment details as decided at the Class Committee will be announced to the students right at the beginning of the semester by the teacher.

## **R.14.0 END SEMESTER EXAMINATION**

R.14.1 There will be one end semester examination of 3 hours duration in each lecture based subject. In case of laboratory based subjects a final examination may or may not be conducted. In the case of projects, a viva-voce examination will be conducted on the completion of the project work.

## **R.15.0 PROJECT EVALUATION**

R.15.1 Evaluation of Project work will be taken up only after the student completes all the core as well as elective course requirements satisfactorily.

## **R.16.0 WEIGHTAGE**

R.16.1 The following will be the weightages for the different subjects.

a. Lecture or lecture and tutorial based subjects:

Sessional assessment : Minimum of 40%

End semester examination : Minimum of 40%

b. Laboratory based subjects:

Similar to a.

Sessional work 75 to 100%

Final examination, if held 25%

R.16.2 The markings for all tests tutorial assignments (if any), laboratory work and examinations will be on an absolute basis. The final percentages of marks are calculated in each subject as per the weightages given in R.19.1.

## **R.17.0 Make-up Examination**

R.17.1 Students who have missed sessional assessments on valid reasons should apply to the Examination Cell indicating the reasons for the absence and the teacher shall consider these requests suitably.

R.17.2 Students who have missed the end semester examinations on valid reasons, should make an application to the Dean of Academic Courses / Director / Examination Cell within ten days from the date of the examination missed. Permission to sit for a make-up examination in the subject/s is given under exceptional circumstances like hospitalisation or accident to the student. A student who misses this make-up examination will not be normally given another make-up examination.

However, in exceptional cases of illness resulting in the students missing a make-up examination, the Dean of Academic Courses / Examination Cell in consultation with the Chairman of the Senate may permit the student to appear for a second make-up examination.

R.17.3 For application on medical grounds, students residing in the hostels should produce a Medical Certificate issued by an Institute Medical Officer only.

Students staying outside the campus permanently/temporarily should produce a medical certificates from registered medical practitioners and the same should be forwarded by the parents \guardians for the purpose of make-up examinations.

The Dean of Academic Coursed can use his discretion in giving permission to a student to take a make-up examination, recording the reasons for his decision.

## R.18.0 Subject wise Grading of Students into Categories

### R.18.1 Letter Grades

Based on the semester performance, each student is awarded a final letter grade at the end of the semester in each subject. The letter grades and the corresponding grade points are as follows.

Grade	Points
S	10
A	9
B	8
C	7
D	6
E	4
U	0
W	Registration cancelled for want of minimum attendance
P,H	Pass / Completed
F,L	Fail / Incomplete

- R.18.2 A student is deemed to have completed a subject successfully and earned the credit if he/she secures an overall letter grade other than U/F.  
A letter grade U/F in any subject implies failure in that subject. A subject successfully completed cannot be repeated.

## R.19.0 METHODS OF AWARDING GRADES

- R.19.1 A final meeting of the Class Committee without the student members will be convened within seven days after the last day of the end semester examination.  
The letter grades to be awarded to the students for different subjects will be finalised at this meeting.
- R.19.2 Two copies of the result sheets for each subject containing the final grade and two copies with absolute marks, the final grade should be submitted by the teacher to the concerned Class Committee Chairman.  
After finalisation of the grades at the Class Committee Meeting: one copy with absolute marks and one without the absolute marks but having only the grades will be forwarded by the Class Committee Chairman to the Dean.  
One copy with absolute marks, the final grade will be sent to the Head of the Department in which the course is offered.

## R.20.0 DECLARATION OF RESULTS

- R.20.1 The letter grades awarded to the students in each subject will be put up on the departmental notice boards soon after the final Class Committee meeting.
- R.20.2 The U or W grade once awarded stays in the record of the student and is deleted when he/she completes the same subject later, indicating also the numbers of attempts made in that course. The CGPA based on the successfully completed courses is calculated excluding the 'U' or 'W' grades.

## R.21.0 RE-EXAMINATION OF ANSWER PAPERS

R.21.1 In case a student feels aggrieved, he/she can contact the teacher concerned for a second look at his/her performance but not later than two weeks from the commencement of the semester following the announcement of the results. The student shall have access to his/her answer paper/s in the end semester examination which may be shown to him/her by the teacher/s concerned.

If the teacher feels that the case is genuine he/she may re-examine and forward the revised grade, if any, to the Dean of Academic Courses through the Chairman of the Class Committee with justification for the revision and intimate the Head of the Department.

## R.22.0 COURSE REPETITION

R.22.1 A student securing 'U' grade in any subject has to repeat it compulsorily when offered next, if the subject is listed as a core subject.

R.22.2 If it is an elective subject, the student has an option to repeat it in order to get a successful grade.

## R.23.0 GRADE CARD

R.23.1 The grade card issued at the end of the semester to each student will contain the following:

- a. the credits for each course registered for that semester.
- b. the performance in each subject by the letter grade obtained vide R.21.1.
- d. the total number of credits earned by the student upto the end of that semester.
- e. the Cumulative Grade Point Average (CGPA) of all the courses taken from the first semester is shown in the final semester grade card.

R.23.2 The Grade Point Average (GPA) will be calculated by the formula.

$$GPA = \frac{\sum_i C_i \times GP}{\sum_i C_i}$$

Where  $C_i$  = credit for the course, GP = the grade point obtained for the course and  $\sum_i C_i$  = the sum of credits in overall courses taken in that semester, including those in which the student has secured U or W grades.

For the cumulative Grade Point Average (CGPA) a similar formula is used except that the  $\sum_i C_i$  is the sum of credits in overall courses taken in all the semesters completed upto the point in time, including those in which the student has secured U or W grades.

R.23.3 No class/division/rank will be awarded to the students at the end of the M.Des programme.

## R.24.0 PROJECT WORK IN INDUSTRY OR OTHER ORGANISATION

R.24.1 Sponsored candidates from organisations which have R and D units and facilities for research work and those students who get employment in such organisation after completion of the courses work may be permitted to carry out their project work in such organisations during the final semester under the following conditions:

R.24.2 A departmental committee shall examine the requests from such students, and fix in advance

- i. An internal guide (a faculty member of the institute)

- ii. Area of project work and
- iii. External guide (Scientists or Engineer in the Industry).

R.24.3 The above details should be submitted to the Dean through the Head of the Department and the Dean's approval should be obtained before the commencement of the project.

R.24.4 The students who are permitted to do the project work in an industry will have to pay the tuition and other fees to the Institute for the third and fourth semester as well.

#### **R.25.0 HALF-TIME TEACHING ASSISTANTSHIP**

R.25.1 Students who are qualified for M.Des admission through valid GATE score and are admitted as full time scholars of the Institute, will be eligible for the award of the HTTA notified by the Institute from time to time.

R.25.2 Students joining the M.Des programme under sponsorship scheme with full salary will not be granted any HTTA even if they are qualified in GATE.

R.25.3 Self-financing foreign nationals are not eligible for HTTA.

#### **R.26.0 ELIGIBILITY FOR THE AWARD OF M.DES DEGREE**

- R.26.1 A student shall be declared to be eligible for the award of M.Des degree if he/she has
- (1) Registered and successfully completed all the core courses and the project.
  - (2) Successfully acquired the minimum number of credits prescribed in the curriculum of the given stream within the stipulated time vide R.10.1.
  - (3) No dues to the Institute, Library and Hostels and
  - (4) No disciplinary action pending against him/her.
  - (5) For students visiting Universities abroad under Exchange programme the following will be followed for credit transfer:

The credits / grades indicated in the grade sheet obtained from the university where the student has done courses should be used by the student as part of his transcripts.

IIITDM Kancheepuram transcripts should only indicate the courses, credits and grades completed at IIITDM Kancheepuram and the courses and credits (without grades) done in other Universities in a particular semester.

R.26.2 The final award of the Degree must be recommended by the Senate and approved by the Board of Governors of the Institute.

#### **R.27.0 POWER TO MODIFY**

Notwithstanding all that has been stated above the Senate has the right to modify any of the regulations from time to time.